FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0185 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/07/2026 12:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/07/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/07/2026 12:10:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 03 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** GASTI DAL JHALAWAR, KARYALAY VAN MANDAL UPVAN SANRAKSHAN, JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** IMTIAZ AHMED

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ABDUL FARID

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NANDPURA, RAIPUR(JHALAWAR), JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NANDPURA, RAIPUR(JHALAWAR), JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	FIROZ KHAN		पिता:FAKIR MOHAMMED	1. RECHHWA,BAKANI,JHALAWAR
2	VIKARM JALANDHAR		पिता:KALURAM	1. KESAV VIDHYAPEETH JAMDOLI,BALLUPURA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 03.07.2026 को समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद पुत्र श्री अब्दुल फरीद उम्र 25 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम नन्दपुरा थाना व तहसील रायपुर जिला झालावाड़ (राज0) मो.न. ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र, मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ के नाम, फोरेस्ट गश्ती दल को रिश्वत देते हुयें रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश किया। इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॅा. प्रेरणा शेखावत द्वारा परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त में प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि “मैं नया गांव नन्दपुरा का निवासी हूं। मैं टिम्बर ट्रेडिंग का कार्य करता हूं। मैं किसान से पेड़ खरीदता हूं फिर ठेकेदार के माध्यम से कटींग कराते है, फिर उस लकड़ी को ट्रक के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न जिलो में, फैक्ट्रियों में, आरामशीन वालों को, श्मसान वालों को, कारपेन्टरो को व अन्यों को मांग के अनुसार ट्रेडिंग कर भिजवाते है। जब हमारी लकड़ी वाहनों में जब-जब भी लोड होकर जाती है तो रास्ते में हमें झालावाड़ जिले की फोरेस्ट गश्ती दल टीम रोक लेती है तथा वाहन ड्राईवरो से मारपीट करते है तथा डरा धमका कर अवैध वसूली व मासिंक बंधी की मांग करते है। यदि हम मासिक बंधी नही देते है तो कहते है कि हम तुम्हे फोरेस्ट की अवैध लकड़ी चोरी के मुकदमें में फंसा देंगे। जबकि हमारा काम लीगल है। हम किसानों से लकड़ी खरीदते है और मांग अनुसार बेचते है। गश्ती दल की टीम में फोरेस्ट गाडी के ड्राईवर फिरोज खान व रेन्जर साहब विक्रम जी व अन्य टीम के सदस्य है। मैं अपने लीगल काम के कोई गश्ती दल के टीम के सदस्यों को रिश्वत नही देना चाहता हूं। बल्कि उनको रिश्वत देते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नही है। ना ही किसी सदस्य से कोई उधार का लेनदेन बकाया है। मेरे प्रार्थना पत्र उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। “परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 व 61(2) बीएनएस 2023 की परिधि में आना पाया गया है। अतः परिवादी श्री इम्तियाज अहमद को आरोपीगणों के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 04.30 पीएम पर कार्यालय में उनके उपस्थित कक्ष मे मौजूद मन् साजिद खान पुलिस निरीक्षक को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस द्वारा अपने चैम्बर मे बुलवाया गया तथा अपने चैम्बर में उपस्थित परिवादी श्री इम्तियाज अहमद से परस्पर परिचय करवाकर, उसके द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर मार्क कर मन् साजिद खान पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश देकर प्रार्थना पत्र सुपुर्द किया गया। समय 05.49 पीएम पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास श्री फिरोज खान फोरेस्ट ड्राईवर के मोबाईल नम्बर है। वह मुझसे रिश्वत के सम्बंध में व्हाट्सएप काल कर बात करता रहता है। मैं उन्हे व्हाट्सएप काल कर उनकी गश्ती दल टीम के बारे में पता कर लेता हूं। इस पर श्री शीशराम कानि 126 को निर्देशित कर मेड इन चाईना कम्पनी का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाना से निकलवाकर मंगवाया गया। परिवादी के मोबाईल नम्बर का स्पीकर आन कर फोरेस्ट गश्ती दल के ड्राईवर श्री फिरोज खान के मोबाईल नम्बर पर व्हाट्सएप काल कर वार्ता करवाई गई तो श्री फिरोज खान ने परिवादी को बताया कि अभी साहब सो रहे है। साहब के उठने के बाद मैं उनसे बात करके बताता हूं। उक्त वार्ता को डीवीआर में रिकार्ड की गई। जिसकी फर्द टांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। परिवादी ने कहा मुझे कुछ काम है। मैं कुछ समय बाद वापस कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर परिवादी को श्री शीशराम कानि के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराये गये। तथा दोनो ने एक दूसरे के नम्बरो का आदान प्रदान किया। तथा परिवादी को निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री फिरोज खान का काल आये तो उसे उठाना नही है तथा श्री शीशराम कानि को अविलम्ब अगवत करवाये। क्यों कि वार्ता को डीवीआर में रिकार्ड किया जायेगा। परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया तथा श्री शीशराम कानि को परिवादी के मोबाईल पर सम्पर्क में रहने हेतु निर्देशित किया गया। समय 06.50 पीएम पर श्री शीशराम कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने मेरे मोबाईल पर काल कर अवगत करवाया है कि उसके पास आरोपी श्री फिरोज खान के दो-तीन काल आ गये है, उसने काल अटेन्ड नही किया है। वह खेल संकुल झालावाड़ के पास अपने कोई कार्य

से मुकिम है। वह मुझे खेल संकुल बुला रहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री शीशराम कानि को तुरन्त डीवीआर लेकर खेल संकुल परिवादी के पास पहुंचने के निर्देश दिये गये। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डीवीआर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.00 पीएम पर श्री शीशराम कानि मय परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के कार्यालय में उपस्थित आया। डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने बताया कि मेरे पास श्री फिरोज खान का बार-बार व्हाट्सएप काल आ रहा था। इस पर मैनें श्री शीशराम जी को जरिये मोबाईल बता दिया था। इस पर शीशराम जी मेरे पास टेप रेकार्डर लेकर खेल संकुल के पास आ गये थे। खेल संकुल के पास से मेरी गाडी में बैठकर मैने समय 07.05 पीएम के लगभग मेरे मोबाईल का स्पीकर आन कर श्री फिरोज खान के मोबाईल पर व्हाट्सएप काल किया था तो फिरोज खान ने मुझसे कहा कि मामा भांजा फोरेस्ट गश्ती दल आफिस आ जाओ, मैं सीधे ही तुम्हारी रेन्जर साहब से बात करा दूंगा। उक्त वार्ता को श्री शीशराम जी ने टेप रेकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। उसके बाद मेरी गाडी से मैं और शीशराम जी फोरेस्ट गश्ती दल आफिस मामा भांजा चैराया पहुंचे। श्री शीशराम जी ने मुझे टेप रेकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर टेप रिकार्डर मेरे सुपुर्द किया। शीशराम जी फोरेस्ट आफिस के पास छुपाव लेते हुये रूक गये थे, मैं डीवीआर लेकर फोरेस्ट गश्ती दल आफिस में गया। मुझे बाहर ही फिरोज खान जी खडे़ मिल गये थे। उन्होने मुझसे कहा कि साहब अन्दर है, तुम अपने वाहनो को पास करने के सम्बंध में रेन्जर साहब से बात कर लो। मैं तुम्हे रेन्जर साहब से मिलवा देता हूं। शीशराम जी बाहर से मुझे व फिरोज खान जी को बातचीत करते हुये देख रहे थे। फिर फिरोज खान ने मुझे गश्ती दल के इंचार्ज विक्रम जी रेन्जर साहब से मि़लाया। इस पर विक्रम जी रेन्जर साहब ने मुझसे नाम पता व मेरे काम धंधे के बारे में पूछा। मैने उनसे कहा मेरे पांच लकड़ियों के वाहन पास करने है। इस पर विक्रम जी रेन्जर साहब ने एक वाहन के पांच हजार रूपये के हिसाब से पांच वाहनों को पास करने के पच्चीस हजार रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मेरे द्वारा हाथा जोड़ी करने पर पांच लकडियों के भरे वाहन पास करने के पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुये और रेन्जर साहब ने कल दिनांक 04.07.2026 को दोपहर समय करीब 12-01 बजे तक रिश्वत राशि श्री फिरोज खान वाहन चालक को देने हेतु कहा गया। हमारे बीच में जो भी वार्ता हुई थी। उसे मैनें टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। श्री शीशराम कानि से पूछने पर उसने परिवादी के कथनो की ताईद करते हुये बताया कि मैं दूर से अपनी उपस्थिति छुपाये हुये परिवादी व आरोपीगणो को बातचीत करते हुये देख रहा था। डीवीआर को लेपटाप में लगाकर स्पीकर ओन कर वार्ता को सुना गया तो आरोपीगण द्वारा पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि मांग की पुष्टि हुई। उक्त कार्यवाही फर्द प्राप्ति डीवीआर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री इम्तियाज अहमद को आरोपीगण की मांग अनुसार कल दिनांक 04.07.2026 को पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होने बाबत निर्देशित कर मामले की गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत कर रूकसत किया गया। समय 09.10 पीएम पर परिवादी के बतायेनुसार कल दिनांक 04.07.2026 को आरोपीगणों द्वारा पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर परिवादी को बुलाया है। कल ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है। इस पर दो स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु कार्यालय पत्रांक 711 दिनांक 03.07.2026 संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, झालावाड़ के नाम मुर्तिब कर कल दिनांक 04.07.2026 को सुबह 08 बजे एसीबी कार्यालय में भिजवाने हेतु जरिये ई-मेल/व्हाट्सएप पाबन्द किया गया। इस पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग झालावाड़ के पत्रांक 3728 दिनांक 03.07.2026 द्वारा स्वतंत्र गवाह डॅा. गौतम फूलझेले वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी व श्री विक्रम सिंह मीना सूचना सहायक को पाबन्द करने का पत्र कार्यालय में जरिये ई-मेल/व्हाट्सएप प्रेशित किया हुआ प्राप्त हुआ। जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.07.2026 समय 08ः00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में पूर्व से तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग झालावाड से उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम डॅा. गौतम फूलझेले पुत्र श्री कृष्णा फूलझेले जाति मराठा उम्र 54 वर्ष निवासी मकान नं. 33 संत तुकड़ोजी वार्ड, आदर्ष नगर, हिंगणघाट जिला वर्धा (महाराष्ट्र) हाल किराये का श्री हरिषंकर नागर जी का मकान, नारायण मल्टी हास्पिटल के पास, हल्दीघाटी रोड़, झालावाड़ हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झालावाड़ मो.न.   व दूसरे ने अपना नाम श्री विक्रम सिंह मीणा पुत्र श्री सम्पत सिंह जाति मीणा उम्र 29 वर्ष निवासी मीणा कालोनी, सवाईमाधोपुर हाल किराये का श्री रितेश सुमन मकान, कालीदास कालोनी झालावाड़ हाल सूचना सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, झालावाड़ मो.न.   होना बताया। जिनको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा समझाईस कर कार्यालय में बैठाया गया। समय 08.05 एएम पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ दिनांक 03.07.2026 को आरोपीगण श्री फिरोज खान वाहन चालक व श्री विक्रम जी रेन्जर फोरेस्ट गश्ती दल झालावाड़ से हुई वार्तानुसार रिश्वत राशि 15,000/-रूपये लेकर आया हूं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान डॅा. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा दिनांक 03.07.2026 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र फोरेस्ट गश्ती दल को रिश्वत देते हुये रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने

हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। समय 08.10 एएम पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बताया गया कि आरोपी श्री फिरोज खान से परिवादी के मोबाईल पर आपस में रिश्वत मांग सत्यापन से पूर्व एसीबी कार्यालय में व्हाट्सएप वार्ता हुई है। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री केशर देव कानि 361 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मेड इन चाईना को निकलवाया गया। आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक के मोबाईल नम्बर व परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के मोबाईल नमबर पर हुई मोबाईल व्हाट्स एप वार्ता प्रथम को डीवीआर से कार्यालय के लेपटाप में जरिये श्री केशर देव कानि से लिवाकर दिनांक 03.07.2026 को समय 05.49 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री फिरोज खान के मध्य हुई मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता प्रथम को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटाप में अलग से लगे स्पीकर ओन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री फिरोज खान की होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री केशर देव कानि द्वारा हूबहू वार्ता की लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट व्हाट्स एप वार्ता प्रथम तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.50 एएम पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बताया गया कि आरोपी श्री फिरोज खान से परिवादी के मोबाईल पर आपस में रिश्वत मांग सत्यापन से पूर्व खेल संकुल झालावाड़ के पास से व्हाट्सएप वार्ता हुई है। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री केशर देव कानि 361 से आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक के मोबाईल नम्बर व परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के मोबाईल नमबर पर हुई मोबाईल व्हाट्स एप वार्ता द्वितीय को डीवीआर से कार्यालय के लेपटाप में जरिये श्री केशर देव कानि से लिवाकर दिनांक 03.07.2026 को समय 07.05 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री फिरोज खान के मध्य हुई मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता द्वितीय को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटाप में अलग से लगे स्पीकर ओन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री फिरोज खान की होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री केशर देव कानि द्वारा हूबहू वार्ता की लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट व्हाट्स एप वार्ता द्वितीय तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.15 एएम पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बताया गया कि आरोपीगण श्री फिरोज खान वाहन चालक व श्री विक्रम रेन्जर गश्ती दल झालावाड़ से परिवादी की आपस में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फोरेस्ट गश्ती दल कार्यालय मामा भांजा चैराहा के पास हुई है। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जानी है तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री केशर देव कानि 361 से आरोपीगण व परिवादी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डीवीआर से कार्यालय के लेपटाप में जरिये श्री केशर देव कानि से लिवाकर दिनांक 03.07.2026 को समय 08.12 पीएम पर परिवादी एवं आरोपीगण के मध्य हुई वार्ता को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटाप में अलग से लगे स्पीकर ओन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ताओं में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री फिरोज खान व तीसरी आवाज श्री विक्रम रेन्जर फोरेस्ट गश्ती दल झालावाड़ की होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री केशर देव कानि द्वारा हूबहू वार्ता की लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान डॉ. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना की मौजूदगी में परिवादी श्री इमितयाज अहमद्र पुत्र श्री अब्दुल फरीद जाति मुसलमान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम नन्दपुरा थाना व तहसील रायपुर जिला झालावाड़ मो.न. द्वारा आरोपी श्री फिरोज फोरेस्ट गार्ड वाहन चालक व श्री विक्रम रेन्जर गश्ती दल वन विभाग झालावाड़ की मांग अनुसार रिश्वत राशि देने हेतु 500-500 रूपये के 30 नोट, कुल 15,000/-रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है- 1. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1FA 878480, 2. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5GF 631598, 3. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0GT 580203, 4. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5MA 798418, 5. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0UD 679777, 6. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1NF 244773, 7. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2VG 617677, 8. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5WS 012459, 9. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4UR 804843, 10. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9CM 567426, 11. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2VM 136120, 12. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3GC 218816, 13. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1MN 139562, 14. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2ST 741455, 15. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7SD 183894, 16. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9QH 425388, 17. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर

9PH 780765, 18. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3RR 036449, 19. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2GF 162712, 20. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0BV 384783, 21. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3UD 823282, 22. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9EA 293282, 23. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2FT 598896, 24. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7FQ 351549, 25. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3FP 214737, 26. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5UB 377483, 27. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7KS 894854, 28. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3HK 469484, 29. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7VS 683654, 30. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6AL 512653 उक्त प्रस्तुत नोटो को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व दोनों सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री इस्माईल अंसारी सउनि से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई गई तथा उक्त सउनि को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 15,000/-रूपये रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 30 नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में स्वतंत्र गवाह डॅा. गौतम फूलझेले से परिवादी श्री इम्तियाज अहमद की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री इस्माईल अंसारी सउनि के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि 15,000/- रूपये के नोटो को परिवादी श्री इम्तियाज अहमद की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री फिरोज फोरेस्ट गार्ड वाहन चालक व श्री विक्रम सिंह रेन्जर गश्ती टीम वन विभाग झालावाड़ के सदस्यों द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उन्हे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपीगण से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखते अथवा छुपाते हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपीगण के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें, ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी क सदस्यों को रिश्वती राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री इस्माईल अंसारी सउनि से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री इस्माईल अंसारी सउनि के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् डॅा. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीणा एवं परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व उपस्थित गण को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है या छुई है। इसके पश्चात् श्री इस्माईल अंसारी सउनि के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री इस्माईल अंसारी सउनि एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकार्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद को सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृश्टांत मुर्तिब कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.43 पी.एम. पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के बतायेनुसार आरोपीगणों ने रिश्वत राशि पन्द्रह हजार रूपये लेकर दोपहर 12-01 बजे तक बुलवाया है। इस पर आरोपीगणो की उपस्थिति जानने के लिए परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री फिरोज खान के मोबाईल पर स्पीकर ओन कर व्हाट्सएप काल करवाया गया तो आरोपी श्री फिरोज खान ने परिवादी को बताया कि मामा भांजा फोरेस्ट गश्ती दल आफिस में आ जाओं, साहब भी यही है। उक्त मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता तृतीय को डीवीआर मेड इन चाईना में जरिये श्री शीशराम कानि के द्वारा रिकार्ड करवाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। आरोपी श्री फिरोज खान ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर मामा भांजा झालावाड़ स्थित फोरेस्ट गश्ती दल आफिस में बुलाया है। इस पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद को उसकी कार से तथा उसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय श्री शीशराम कानि के साथ उसकी मोटरसाईकिल से तथा मेरे पीछे-

पीछे श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री गोपाल लाल सउनि तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान डॅा. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना को प्राईवेट वाहन से, श्री शिवराज कानि 166, श्री मनोज कुमार कानि 364, श्री केशर देव कानि 361 को पृथक-पृथक मोटरसाईकिलों से मामा भांजा झालावाड़ स्थित फोरेस्ट आफिस के लिए रवाना होने के निर्देश दिये तथा श्री छोटूलाल कानि चालक नं. 534 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये तथा काल करने पर मय ट्रेप बाक्स एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित सरकारी बोलेरो से आने हेतु निर्देशित किया गया। श्री ईस्माईल अंसारी सउनि को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 01.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक साजिद खान मय एसीबी जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के कार्यालय मामा भांजा स्थित फोरेस्ट आफ़िस से कुछ दूरी पर अपने-अपने वाहनो से पहुंचे। परिवादी श्री इम्तियाज अहमद को डीवीआर चालू कर फोरेस्ट गश्ती दल आफिस में आरोपीगणों को रिश्वत राशि देने हेतु उसकी कार से रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाब्ता व दोनो स्वतंत्र गवाहान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये फोरेस्ट गश्ती दल कार्यालय के आस-पास परिवादी के ईशारे की प्रतिक्षा में ट्रेप जाल बिछाकर मुकिम हुये। समय 01.50 पी.एम. दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने गश्ती दल झालावाड़ रेन्ज झालावाड़ कार्यालय वन मण्डल उप वन संरक्षक, झालावाड़ के मैन गेट के बाहर स्थित परिवादी श्री इम्तियाज अहमद की कार में से एक व्यक्ति उतरकर फोरेस्ट कार्यालय में गया। उसी समय कार से बाहर आकर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने मामा भांजा चैराहा के साईड में खडे़ मन् पुलिस निरीक्षक एवं एसीबी टीम की ओर रिश्वत राशि देने का सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा फोरेस्ट आफिस के आस-पास खड़े दोनो स्वतंत्र गवाह व एसीबी टीम के सदस्यों को मेरे पीछे-पीछे आने का ईशारा कर मन् पुलिस निरीक्षक तेज कदमों से चलते हुये परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के पास पहुंचा। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैनें श्री फिरोज खान वाहन चालक को उनकी मांग अनुसार मेरे पांच लकड़ी से भरे वाहनों को पास करवाने की एवज में रिश्वत राशि 15,000/-रूपये दे दिये है। जो अभी-अभी मुझसे 15,000/-रूपये रिश्वत राशि लेकर फोरेस्ट कार्यालय में चले गये है। हमारे बीच जो भी रिश्वत लेनदेन के समय वार्ता हुई है, वह मैने आप द्वारा दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से डीवीआर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी को साथ लेकर फोरेस्ट गश्ती दल कार्यालय में प्रवेश किया तो कार्यालय में दो व्यक्ति मौजूद थे, पलंग पर बैठे गोल बिन्दीयां टाईप डिजायन की सफेद कलर की शर्ट पहने व हरे रंग की पेन्ट पहने मोटे से एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही फिरोज खान जी गश्ती दल के वाहन चालक है। इनसे व रेन्जर साहब श्री विक्रम जी से दिनांक 03.07.2026 को मेरे पांच लकड़ियों से भरे वाहनों को पास करने की एवज में इन्होने मुझसे पांच हजार रूपये प्रत्येक वाहन के हिसाब से पच्चीस हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। मेरे हाथा जोड़ी करने पर 15,000/-रूपये रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गये थे। इनकी मांग अनुसार ही आज मैनें फोरेस्ट कार्यालय के बाहर आकर श्री फिरोज खान को फोन लगाया तो इन्होने मुझसे कहा कि बाहर चाय की दुकान पर बैठ, मैं आता हूं। मैं अपनी कार से बाहर उतरकर श्री फिरोज खान का इन्तजार करने लगा कुछ समय बाद गश्ती दल कार्यालय से श्री फिरोज खान जी बाहर आये जिनको मैनें ईशारा कर अपने पास बुलाया तथा हम दोनों मेरी कार में बैठ गये। इनके आने से पूर्व ही मैने आप द्वारा दिया गया टेप रिकार्डर चालू कर लिया था। मैने कार में बैठे-बैठे श्री फिरोज खान व श्री विक्रम जी रेन्जर साहब की मांग अनुसार 15,000/-रूपये रिश्वत राशि के श्री फिरोज खान को दे दिये। इन्होने मुझसे कहा तेरे लकड़ी वाले वाहनो के नम्बर की फोटो खिचकर मेरे व्हाट्स एप कर देना, और तेरे नम्बर से मिस काल मार देना, हम तेरे वाहन पास करवा देगें। तेरे कोई दिक्कत नही आयेगी। फिरोज खान जी ने रिश्वत राशि 15,000/-रूपये लेकर अपनी पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये थे तथा कुछ समय बात कर ये कार से उतरकर गश्ती दल कार्यालय में चले गये थे। हमारे बीच जो भी वार्ता हुई है, वह आप द्वारा दिये टेप रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। इनके अन्दर जाने के बाद मैने बाहर मोका देख, आपको ईशारा कर दिया था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उस व्यक्ति को अपना परिचय देकर आने का कारण बताया तो वह व्यक्ति घबरा गया। उसे तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री फिरोज खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वाहन चालक क्षैत्रीय वन अधिकारी गश्ती दल झालावाड़ रेन्ज झालावाड़ कार्यालय वन मण्डल, उप वन संरक्षक झालावाड़ मो.न. होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अभी-अभी परिवादी श्री इम्तियाज अहमद से ली गई रिश्वत राशि 15,000/-रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी श्री फिरोज खान ने अपना स्पष्टीकरण देते हुये बताया कि मेरी इम्तियाज अहमद से रूपयों के बारे में कोई बात नही हुई। मैने इम्तियाज अहमद को रेन्जर से साहब से मिलवाया था तथा उनसे एक-दो हजार रूपये कम करने लिए कहा था। रिश्वत राशि 15,000/-रूपयो के बारे में पूछा तो रिश्वत राशि अपनी पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखा होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री फिरोज खान को पलंग पर यथा स्थिति बैठे रहने के निर्देश दिये गये। उसी समय काली टी-शर्ट व भूरे रंग का पेन्ट पहने एक व्यक्ति कार्यालय में आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात बताकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री विक्रम पुत्र श्री कालूराम जाति रैगर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बल्लूपुरा केशव विद्यापीठ जामड़ोली जिला जयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल, झालावाड़ मो.न. होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा अभी-अभी 15,000/-रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री फिरोज

खान को देना बताकर बताया गया कि परिवादी श्री इम्तियाज अहमद की आपसे दिनांक 03.07.2026 को उसके पांच लकड़ी के वाहन पास करने की बातचीत हुई थी, आप द्वारा उसके पांच वाहन पास करने की एवज में पांच हजार रूपये प्रत्येक वाहन के हिसाब से 25,000/-रूपये रिश्वत की मांग की थी। परिवादी के द्वारा हाथाजोड़ी करने पर आप 15,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हो गये थे। आपकी मांग अनुसार ही आज परिवादी के द्वारा पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक को दिये गये है। रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी को एसीबी झालावाड़ द्वारा दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में आपकी वार्ता रिकार्ड हो चुकी है तथा आज रिश्वत राशि लेनदेन के समय हुई वार्ता भी परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते है। इस पर आरोपी श्री विक्रम जलन्धर क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़ रेन्ज झालावाड़ ने अपना स्पष्टीकरण देते हुये बताया कि कल दिनांक 03.07.2026 को श्री इम्तियाज अहमद हमारे कार्यालय में आये थे, मै इनको जानता नही था। मैने इनका नाम पूछा था तो इन्होने अपना इम्तियाज अहमद बताया था। इन्होने कहा कि मेरे लकड़ियों का धंधा है, मैं काम चालू करूंगा, मेरे पास लकड़ियो का स्टाक पड़ा है, मै लकड़ियों को बाहर भेजूंगा जिसमें मुझे दो-चार दिन का टाईम लगेगा। देख लो तुम्हारे हिसाब से, क्या करना है, क्या नही। इस पर मैने इनको बोल दिया था, देख लेंगे जब तुम लकड़ियों के वाहन निकालोगे। इसके बाद इन्होने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मुझे देना चाहा, मेरे मना करने पर मेरी पेन्ट की जेब में रख दिये। इस पर मैनें इनको बोला कि मेरी जेब से पैसे वापस निकालों, इस पर इन्होने पैसे निकालकर वापस अपने पास रख लिये। मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग नही की है। इसके बाद ये कार्यालय से चले गये थे। इस पर मौजूद परिवादी श्री इम्तियाज अहमद ने आरोपी श्री विक्रम जलन्धर, क्षैत्रीय वन अधिकारी की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मैं कल दिनांक 03.07.2026 को इनके कार्यालय में मेरे लकडियो से भरे वाहनो को पास करने की बात करने आया था तो मैने सबसे पहले श्री फिरोज खान को फोन लगाया था तो उन्होने कहा था कि रेन्जर साहब से बात करके बताता हूं। फिर श्री फिरोज खान ने मेरे को कुछ समय बाद काल करकें बताया कि मामा भांजे कार्यालय के यहां आ जाओ, मैं आपकी साहब से डायरेक्ट बात करवा देता हूं। इस पर मैं आपसे टेप रिकार्डर लेकर आपके कर्मचारी के साथ फोरेस्ट गश्ती दल कार्यालय मामा भांजा आया था। आपके कर्मचारी फोरेस्ट कार्यालय से कुछ दूरी पर उतर गये थे। मैं फोरेस्ट गश्ती दल कार्यालय आया जहां बाहर ही गेट पर श्री फिरोज खान वाहन चालक खडे़ हुये मिल गये थे। फिरोज खान जी ने कहां अन्दर चलो, मैं तुम्हारी साहब से बात करवा देता हूं। इस पर मैं फिरोज खान जी के साथ अन्दर कार्यालय में गया। आफिस के सामने ही कुर्सी पर रेन्जर साहब बैठे हुये थे। फिरोज खान जी ने मेरा परिचय देकर रेन्जर साहब से मिलवाया। तो रेन्जर साहब ने नाम पता पूछा तो मैने नाम पता बताया। फिर रेन्जर साहब ने मेरे काम की प्रक्रिया की जानकारी ली। मैने रेन्जर साहब से कहा कि मेरी पांच लकडी की गाडियां भरकर पास करानी है, तो इन्होने मेरे से किधर होकर निकालोगे व रूट की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद रेन्जर साहब ने प्रत्येक लकड़ी से भरे वाहन को पास कराने के पांच हजार रूपये कुल पांच वाहनों के पच्चीस हजार रूपये की मांग की। इस पर मैनें रेन्जर साहब से कहा कि मैं पच्चीस हजार रूपये नही दे सकता। फिर इन्होने बीस हजार रूपये की बोली। फिर मैने इनसे दस हजार रूपये देने की बोली। फिर ये पन्द्रह हजार रूपये पर आये तो मैनें ग्यारह हजार रूपये देने की बोला। इस पर मैने एक हजार रूपये एक हजार रूपये रेन्जर साहब की जेब में रखना चाहा और कहा कि दस हजार रूपये मैं सुबह दे जाउंगा। इस पर रेन्जर साहब ने मना कर दिया और कहा कि काम करना है तो पूरे पन्द्रह हजार रूपये ही लेकर आओ, नही तो मत करना काम, तेरी गाडी पकड़ लेंगे। फिर ज्यादा की रसीद बनेगी। इस पर मैने मजबूरी में आकर रेन्जर साहब से पन्द्रह हजार रूपये देने की हां भरी। मुझे काम करना था। जब कि मैं किसानों की अनुमति से खरीद हुये पेड़ो को ठेकेदारो से कटवाकर लकड़ी ट्रेडिंग का काम करता हूं तथा लकड़ियां मांग अनुसार राजस्थान के जिलो में कारपेन्टर, आरा मशीन वालो व फैक्ट्रियों में एवं श्मसान वालो को भिजवाता हूं। जिसका सरकार को 18 प्रतिशत ओनलाईन जीएसटी पैड बिल मेरे भाई की फर्म एनके ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से जमा कराता हूं। हम फोरेस्ट के जंगलो से कोई लकड़िया काटकर नही बेचते है। हमारा काम लीगल है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोज कानि. 364 को निर्देश देकर सरकारी मोबाईल मय मेमोरी कार्ड ओन कर विड़ियोग्राफी करने हेतु कहा तथा विड़ियोग्राफी प्रारम्भ करवाई गई तथा श्री गोपाल लाल सउनि को निर्देशित कर दो अलग-अलग डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर सोडियम कार्बोन्ट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाया गया। आरोपी श्री फिरोज खान को निर्देशित कर एक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोन्ट के घोल में उसके बांये हाथ की अंगुली व अंगुठे को धुलवाया गया तो़ धोवन का रंग मटमैला हो गया। जिसको दो अलग-अलग कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरकर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर सील्ड चिट मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोन्ट के घोल में आरोपी श्री फिरोज खान के दाहिने हाथ की अंगुली व अंगुठे को धुलवाया गया तो़ धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसको दो अलग-अलग कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरकर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सील्ड चिट मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतंत्र गवाह डॅा. गौतम फूलझेले को निर्देशित कर आरोपी श्री फिरोज खान की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक की पहनी पेन्ट की सामने की दाहिने जेब में एक नोटो की थई मिली तथा सामने की बांई जेब में एक पर्स मिला व बांये हाथ में एचएमटी कम्पनी की घड़ी एवं दाहिने हाथ में धातू का कड़ा मिला। दोनो स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द कर कार्यालय में मुर्तिब फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी

रिश्वत राशि नोटो से दाहिने जेब में मिले नोटो से मिलान करवाया गया तो हूबहू पांच-पांच सौ रूपये के तीस नोट कुल 15,000/-रूपये रिश्वत राशि होना पाई गई। जो निम्नानुसार हैः- 1. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1FA 878480, 2. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5GF 631598, 3. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0GT 580203, 4. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5MA 798418, 5. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0UD 679777, 6. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1NF 244773, 7. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2VG 617677, 8. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5WS 012459, 9. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4UR 804843, 10. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9CM 567426, 11. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2VM 136120, 12. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3GC 218816, 13. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1MN 139562, 14. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2ST 741455, 15. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7SD 183894, 16. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9QH 425388, 17. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9PH 780765, 18. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3RR 036449, 19. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2GF 162712, 20. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0BV 384783, 21. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3UD 823282, 22. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9EA 293282, 23. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2FT 598896, 24. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7FQ 351549, 25. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3FP 214737, 26. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5UB 377483, 27. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7KS 894854, 28. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3HK 469484, 29. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7VS 683654, 30. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6AL 512653 उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000/-रूपये के नोटों को एक पीले कलर के लिफाफे में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कर कब्जे एसीबी लिये गये। आरोपी श्री फिरोज खान द्वारा रिश्वत राशि 15,000/-रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखी गई है। जिसका धोवन लिया जाना है। इस पर गश्ती दल कार्यालय में सहकर्मी की रखी पेन्ट मंगवाई गई। आरोपी श्री फिरोज खान को निर्देशित कर पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर दूसरी पेन्ट पहनाई गई। एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाकर पेन्ट की दाहिनी जेब को उलटकर डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट के घोल मे डुबाकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो अलग-अलग कांच की शीशीयो में आधा-आधा भरकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर सील्ड चिट मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। पेन्ट को पंखे की हवा में सुखाकर पेन्ट की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्क पी अंकित कर पैकेट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गया। आरोपी श्री फिरोज खान तलाशी मिले पर्स को चैक स्वतंत्र गवाह डॉ. गौतम फूलझेले से करवाया गया तो उसमे 2410रूपये नगद, विभागीय परिचय पत्र, आधार कार्ड मिला। 2410रूपये के बारे में पूछने पर अपने स्वयं के खर्चे के होना बताया गया। पर्स मे मिली राशि 2410रूपये, विभागीय परिचय पत्र, आधार कार्ड व हाथ घडी और धातू के कड़े को आरोपी श्री फिरोज खान के बतायेनुसार परिजन को लोटाये जायेगें। ट्रेप कार्यवाही में धोवन की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन एन्ड्रोएड में मेमोरी कार्ड लगाकर श्री मनोज कुमार कानि 364 को निर्देश देकर धारा 180 बीएनएसएस के तहत विड़ियो रिकार्डिंग करवाई गई। जिसके मेमोरी कार्ड एवं क्लोन पेनड्राईव को पृथक-पृथक सील मोहर कर फर्द मुर्तिब की जावेगी। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री फिरोज खान से उसके मोबाईल के बारे में पूछा गया तो पलंग पर रखे एक मोबाईल को उठाकर पेश किया। मोबाईल को चैक किया जो सिल्वर कलर का रियलमी कम्पनी का डबल सीम का है। जिसमें एक जीओ कम्पनी की सीम नं. व दूसरी सीम ऐयरटेल कम्पनी की नं. लगी हुई है। उक्त मोबाईल से आरोपी की सीम नं. से परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के मोबाईल सीम नं. से व्हाट्सएप काल वार्ता हुई थी। जिसके सम्बंध में अनुसंधान किया जाना है। आरोपी के उक्त मोबाईल रियलमी सिल्वर कलर डबल सीम को कब्जे एसीबी लिया गया। हालात डॉ. प्रेरणा शेखावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया को जरिये मोबाईल निवेदन किये गये। आरोपीगणो के निवास स्थानों की खाना तलाशी के बारे में बताया गया। दौराने कार्यवाही श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया घटनास्थल पर उपस्थित आई, कार्यवाही का सुपरविजन कर आवश्यक दिशानिर्देश दिये तथा दो स्वतंत्र गवाह अलग से तलब कर श्री शिवराज कानि को साथ लेकर आरोपीगणों के निवास स्थानों की खाना तलाशी लेने हेतु रवाना हुई। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि 15,000/-रूपये एवं हाथ एवं पेन्ट धुलाई की विस्तृत फर्द तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 05.10 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में रवाना होने से पूर्व आरोपीगणो की उपस्थिति जानने के लिए परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री फिरोज खान के मोबाईल पर स्पीकर ओन कर व्हाट्सएप काल करवाया गया था। जिसको जरिये श्री शीशराम कानि द्वारा डीवीआर में रिकार्ड करवाया गया था। जिसके सम्बंध में परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व दोनों स्वतंत्र गवाहान डॉ. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बताया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री केशर देव कानि 361 से आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक के मोबाईल नम्बर व परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के मोबाईल नमबर पर हुई मोबाईल

व्हाट्स एप वार्ता तृतीय को डीवीआर से कार्यालय के लेपटाप में जरिये श्री केशर देव कानि से लिवाकर आज दिनांक 04.07.2026 को समय 12.43 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री फिरोज खान के मध्य हुई मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता तृतीय को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटाप में अलग से लगे स्पीकर ओन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा की जाकर एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री फिरोज खान की होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री केशर देव कानि द्वारा हूबहू वार्ता की लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल व्हाट्स एप वार्ता तृतीय तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.30 पी.एम. पर रिश्वत लेनदेन के दौरान परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक फोरेस्ट गश्ती दल के मध्य कार्यालय फोरेस्ट गश्ती दल झालावाड़ में वार्ता हुई थी। जिसको परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डीवीआर मेड इन चाईन में रिकार्ड किया गया था। जिसके सम्बंध में परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व दोनों स्वतंत्र गवाहान डॅा. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बताया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री केशर देव कानि 361 से आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक व परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के मध्य हुई वार्ता को डीवीआर से कार्यालय के लेपटाप में जरिये श्री केशर देव कानि से लिवाकर दिनांक 04.07.2026 को समय 01.32 पीएम पर हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को क्लीक कर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष वार्ता को लेपटाप में अलग से लगे स्पीकर ओन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा की जाकर एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री फिरोज खान की होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री केशर देव कानि द्वारा हूबहू वार्ता की लेपटाप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।समय 06.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री इम्तियाज अहमद की निषानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान डॅा. गौतम फूलझेले व श्री विक्रम सिंह मीना के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्षा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, नक्षा मौका हाजरीन को दिखाया व समझाया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबशुदा नक्षा घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री फिरोज खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वाहन चालक, क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, रेन्ज झालावाड़ कार्यालय वन मण्डल, उप वन सरंक्षक झालावाड़ को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को अवगत करवाया कि दिनांक 03.07.2026 व दिनांक 04.07.2026 को परिवादी श्री इम्तियाज अहमद के मोबाईल सीम नं. से आपके मोबाईल सीम नम्बर नं. पर मोबाईल व्हाट्सएप काल वार्ता हुई है एवं दिनांक 03.07.2026 को आपके कार्यालय में रिश्वत की मांग सत्यापन वार्ता हुई थी तथा आज दिनांक 04.07.2026 को रिश्वत लेनदेन की वार्ता हुई है। उक्त सभी वार्ताओं को परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर/मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया है। जिसमें आपकी रिकार्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आप अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराने हेतु नोटिस दिया गया तो, आरोपी श्री फिरोज खान ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि ‘‘मैं अपनी आवाज का स्वेच्छा से परीक्षण नही करवाना चाहता हूं‘‘ अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 07.10 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी श्री विक्रम जलन्धर पुत्र श्री कालूराम जाति रैगर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बल्लूपुरा केशव विद्यापीठ जामड़ोली जिला जयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल, झालावाड़ को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी को अवगत करवाया कि दिनांक 03.07.2026 को आपके कार्यालय में परिवादी श्री इम्तियाज अहमद से रिश्वत मांग की सत्यापन वार्ता हुई थी। उक्त वार्ता को परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर/मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया है। जिसमें आपकी रिकार्डशुदा आवाज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया जाना है जिसके लिये आप अपनी आवाज का नमूना उपलब्ध कराने हेतु नोटिस दिया गया तो, आरोपी श्री विक्रम जलन्धर ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि ‘‘मैं अपनी आवाज का स्वेच्छा से परीक्षण नही करवाना चाहता हूं‘‘ अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.00 पी.एम. पर आरोपी श्री फिरोज खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वाहन चालक, क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, रेन्ज झालावाड़ कार्यालय वन मण्डल, उप वन सरंक्षक झालावाड़ द्वारा परिवादी श्री इम्तियाज अहमद से दिनांक 03.07.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन अनुसार परिवादी के लकड़ी से भरे वाहनो को पास कराने की एवज में आरोपी श्री विक्रम जलन्धर क्षेत्रिय वन अधिकारी गश्ती दल रेंज झालावाड़ के कहे अनुसार परिवादी इम्तियाज अहमद से 15,000/- रूपये रिश्वत राशि आज दिनांक 04.07.2026 को श्री विक्रम जलन्धर के लिए प्राप्त कर अपनी पहनी पेंट की दाहिनी साईड

की जेब में रखना जहां से एसीबी टीम द्वारा रिश्वत राशि बरामद करना तथा आरोपी को रिश्वत राशि ग्रहण करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाना, जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी श्री फिरोज खान को धारा 35(3) बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यो को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने के लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान डॅा. गौतम फूलझेले के द्वारा से लिवायी गयी तो आरोपी के पास रिश्वत राशि 15,000/-रूपये व पर्स में मिले 2410रूपये, विभागीय आईडी, आधार कार्ड, एचएमटी हाथ घड़ी मिले थे। इसके अलावा कोई आपतिजनक सामग्री या राशि नही मिली। आरोपी द्वारा पर्स में मिली राशि 2410 रूपये के बारे में संतोषजनक जवाब देने पर आरोपी के कहेनुसार घटनास्थल पर मौजूद अपने विभाग में कार्यरत श्री हरवेन्द्र चैाधरी वनरक्षक को उक्त 2410 रूपये राशि, हाथ घड़ी व दस्तावेजात लौटाये गये तथा गिरफ्तारी की सूचना भी दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 08.40 पी.एम. पर आरोपी श्री विक्रम जलन्धर पुत्र श्री कालूराम जाति रैगर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बल्लूपुरा केशव विद्यापीठ जामड़ोली जिला जयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल, झालावाड़ द्वारा परिवादी श्री इम्तियाज अहमद से दिनांक 03.07.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन अनुसार परिवादी से लकड़ी से भरे वाहनो को पास करने की एवज में प्रत्येक वाहन के 5,000/-रूपये के हिसाब से पांच वाहनों की लकड़ियां पास कराने की एवज में 25,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 15,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना तथा उक्त राशि आरोपी श्री फिरोज खान, वाहन चालक गश्ती दल झालावाड़ के जरिये परिवादी इम्तियाज अहमद से 15,000/-रूपये आज दिनांक 04.07.2026 को अपने लिए लिवाना। रिश्वत राशि आरोपी श्री फिरोज खान की पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब से एसीबी टीम द्वारा बरामद करना। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस के तहत दंडनीय अपराध होने से आरोपी श्री विक्रम जालन्धर को धारा 35(3) बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को संज्ञेय व अजमानतीय अपराध में समुचित अन्वेषण के लिये इस अपराध के साक्ष्यों को मिटाने या साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने एवं इस अपराध के साक्ष्यो को मिटाने एवं इस अपराध के साक्षीगणों को प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन देने से निवारित करने लिये गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारो की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री विक्रम सिंह मीना के द्वारा लिवायी गयी तो आरोपी के पास जेब में 3620रूपये नगद, हाथ घड़ी फिनलेक्स कम्पनी की, एक चांदी की चैन, तीन अंगुठिया जिनमे दो चांदी की एक धातू की, कान की बाली चांदी की तारनुमा, फोरेस्ट कन्ट्रोल निवास रूम की दो चाबीयां व दो मोबाईल जिनमे से एक मोबाईल वन प्लस एक सीम का, दूसरा आईफोन 17 एक सीम के मिले। इसके अलावा कोई आपतिजनक सामग्री या राशि नही मिली। आरोपी के पास मिली राशि 3620 रूपये के बारे में संतोषजनक जवाब देने पर आरोपी के कहेनुसार घटनास्थल पर मौजूद अपने विभाग में कार्यरत श्री हरवेन्द्र चैाधरी वनरक्षक को उक्त 3620 रूपये राशि व उक्त सभी आईटमो को लौटाये गये तथा गिरफ्तारी की सूचना भी दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 09.10 पी.एम. पर परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व आरोपी श्री फिरोज खान, वाहन चालक फोरेस्ट गश्ती दल, झालावाड़ के मध्य मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता प्रथम दिनांक 03.07.2026 समय 05.49 पीएम पर एसीबी कार्यालय झालावाड़ में हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.07.2026 को समय 08.10 एएम पर तैयार की गई थी। परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व आरोपी श्री फिरोज खान, वाहन चालक फोरेस्ट गश्ती दल, झालावाड़ के मध्य मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता द्वितीय दिनांक 03.07.2026 समय 07.05 पीएम पर खेल संकुल झालावाड़ के पास हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.07.2026 को समय 08.50 एएम पर तैयार की गई थी। परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व आरोपी श्री फिरोज खान, वाहन चालक एवं श्री विक्रम जलन्धर रेन्जर फोरेस्ट गश्ती दल, झालावाड़ के मध्य आपस में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.07.2026 समय 08.12 पीएम पर फोरेस्ट गश्ती दल कार्यालय झालावाड़ में हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.07.2026 को समय 09.15 एएम पर तैयार की गई थी। श्री इम्तियाज अहमद व आरोपी श्री फिरोज खान, वाहन चालक फोरेस्ट गश्ती दल, झालावाड़ के मध्य मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता तृतीय दिनांक 04.07.2026 समय 12.43 पीएम पर एसीबी कार्यालय झालावाड़ में हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.07.2026 को समय 05.10 पीएम पर तैयार की गई थी। परिवादी श्री इम्तियाज अहमद व आरोपी श्री फिरोज खान, वाहन चालक फोरेस्ट गश्ती दल, झालावाड़ के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 04.07.2026 समय 01.32 पीएम पर फोरेस्ट गश्ती दल कार्यालय झालावाड़ में हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 04.07.2026 को समय 05.30 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त सभी वार्ताये कार्यालय एसीबी झालावाड़ के डीवीआर मेड इन चाईना में रिकार्ड की गई थी। उक्त सभी वार्ताओ को पृथक-पृथक

कार्यालय के लेपटाप में लगाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषानुसार श्री केशर देव कानि 361 के द्वारा लेपटाप में बारी-बारी SANDISK 16 GB कम्पनी के पेनड्राईव लगाकर चार क्लोनिंग पेनड्राईव तैयार करवाये गये। चारो पेनड्राईव व मूल डिजिटल वाईस रिकार्डर मेड इन चाईना की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों पेनड्राईव में से एक पेनड्राईव आरोपी श्री फिरोज खान के लिये, एक पेन ड्राईव आरोपी श्री विक्रम जलन्धर के लिए, एक पेनड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर चारो पेनड्राईव को सील मोहर किये गये तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर मेड इन चाईना में रेकार्डेड सेव पांचो वार्ताओ के उक्त मूल डीवीआर/मेमोरी कार्ड को एक कपडे़ की थैली में रखकर माननीय न्यायालय हेतु सील मोहर किया गया। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ व पेन्ट धुलाई के दौरान श्री मनोज कुमार कानि 364 द्वारा सरकारी मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटाप में जोड़कर एक पेनड्राईव SANDISK 16 GB कम्पनी का माननीय न्यायालय के लिए तैयार करवाया जाकर एक कपडे़ की थेली में अलग से रखकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमोरी कार्ड SYSTICK 16 GB को माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थैली में सील मोहर किया गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड एवं क्लोनिंग पेनड्राईव की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। पांचो फर्द ट्रांसक्रिप्टो की रेकार्डेड वार्ताओं एवं फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ व पेन्ट धुलाई के दौरान की गई विड़ियोग्राफी का क्लोनिंग पेनड्राईव geonix 32 GB टीएलओ हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात खाना तलाशी के दौरान आरोपी श्री फिरोज खान वाहन चालक के रिहायशी मकान रीछवा व आरोपी श्री विक्रम जलन्धर रेन्जर के सरकारी आवास की श्री शिवराज कानि 166 द्वारा सरकारी मोबाईल से वीडियो रिकार्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटाप में जोड़कर दो पेनड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें से एक पेनड्राईव SANDISK 16 GB माननीय न्यायालय के लिये कपडे़ की थेली में रखकर सील मोहर किया गया व एक पेनड्राईव geonix 32 GB टीएलओ हेतु खुला रखा गया। तथा खाना तलाशी रिकार्डिंग के मूल मेमोरी कार्ड SANDISK 16 GB को माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थैली में सील मोहर किया गया। उक्त मूल मेमोरी कार्ड एवं क्लोनिंग पेनड्राईव की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द पेनड्राईव क्लोनिंग एवं जब्ती डीवीआर/मेमोरी कार्ड मेड इन चाईना एवं मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार करवाकर शिल्ड शुदा क्लोनिंग पेनड्राईव, डीवीआर/मेमोरी कार्ड व मेमोरी कार्ड तथा फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 09.50 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इम्तियाज अहमद, गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री फिरोज खान व श्री विक्रम जलन्धर, मय एसीबी जाब्ता के जब्त शुदा रिश्वत राशि, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादी मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप प्रिन्टर के जरिये साथ लाये अपने-अपने वाहनों से एसीबी चैाकी झालावाड़ के लिये रवाना हुआ। समय 10.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय गिरफ्तार शुदा आरोपीगण व साथ लाये अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री गोपाल लाल सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि परिवादी श्री इम्तियाज अहमद द्वारा दिनांक 03.07.2026 को एसीबी कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर षिकायत दी गई कि ‘‘मैं टिम्बर ट्रेडिंग का कार्य करता हूं। मैं किसानो से पेड़ खरीदता हूं, फिर ठेकेदार के माध्यम से कटिंग कराते है, फिर उस लकड़ी को वाहनों के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न जिलों में आरा मशीन वालों को, श्मसान वालों को कारपेन्टरों को व अन्यों को मांग के अनुसार भिजवाते है। हमारी लकड़ियां वाहनों में जब-जब भी लोड होकर जाती है, तो रास्ते में हमें झालावाड़ जिले की फोरेस्ट गश्ती दल टीम रोक लेती है तथा वाहन ड्राईवरों से मारपीट करते है तथा डरा धमका कर अवैध वूसली करते है। मासिक बंधी देने की कहते है। यदि हम मासिक बंधी नही देते है तो कहते है कि हम तुम्हे फोरेस्ट की लकडी की अवैध चोरी के मुकदमें में फंसा देंगे। जब कि हमारा सारा काम लीगल है। हम किसानों से लकड़ी खरीदते है, और मांग अनुसार बेचते है। गश्ती दल टीम के वाहन चालक फिरोज खान व रेन्जर साहब विक्रम जलन्धर व अन्य गश्ती दल के सदस्यों को अपने लीगल काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हूं। उनको रिश्वत देते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं।’’ परिवादी के प्रार्थना पत्र व मजिद दरियाफ्त से मामला धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 की परिधि में आने पर उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण श्री फिरोज खान वाहन चालक व श्री विक्रम जलन्धर, क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, कार्यालय वन मण्डल उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा परिवादी से लकड़ी के वाहनो को पास करने की एवज में प्रत्येक वाहन के 5,000/-रूपये के हिसाब से पांच वाहनों की लकड़ियां पास करने की एवज में 25,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी द्वारा हाथा जोड़ी करने पर 15,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुये तथा रिश्वत राशि लेकर शनिवार दिनांक 04.07.2026 को अपने कार्यालय बुलाया गया। रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 04.07.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण श्री फिरोज खान वाहन चालक व श्री विक्रम सिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, कार्यालय वन मण्डल उप वन संरक्षक, झालावाड को परिवादी से रिश्वत राशि 15,000/-रूपये प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपी श्री फिरोज खान की पहनी हुई पेन्ट की

सामने की दाहिनी जेब से बरामद की गई। आरोपी श्री फिरोज खान के हाथों व पेन्ट की जेब का धोवन मटमैला, हल्का गुलाबी और गुलाबी प्राप्त हुआ। मोबाईल व्हाट्सएप वार्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता, फर्द बरामदगी दिनांक 04.07.2026 व उपरोक्त कार्यवाही से आरोपीगण के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपीगण 01. श्री फिरोज खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वाहन चालक, क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, कार्यालय वन मण्डल, उप वन सरंक्षक झालावाड व 02. श्री विक्रम जालन्धर पुत्र श्री कालूराम जाति रैगर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बल्लूपुरा केशव विद्यापीठ जामड़ोली जिला जयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, कार्यालय वन मण्डल, उप वन सरंक्षक झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण उपरोक्त के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है। (साजिद खान) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री साजिद खान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री फिरोज खान पुत्र श्री फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 46 साल निवासी रीछवा थाना बकानी जिला झालावाड़ हाल वाहन चालक, क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, कार्यालय वन मण्डल, उप वन सरंक्षक झालावाड एवं 02- श्री विक्रम जालन्धर पुत्र श्री कालूराम जाति रैगर उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम बल्लूपुरा केशव विद्यापीठ जामड़ोली जिला जयपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी, गश्ती दल झालावाड़, कार्यालय वन मण्डल, उप वन सरंक्षक झालावाड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 111 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1112-15 दिनांक 07.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANISH AHMED **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/07/2026 12:49:34

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1980				
2	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)